>

Title: Need to extend 90% financial assistance to Gujarat under Accelerated Irrigation Benefit Programme.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): सभापति महोदय, आपने मुझे गुजरात की सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरदार सरोवर परियोजना एक अंतर्राज्यीय योजना है जिसमें गुजरात के साथ अन्य तीन राज्य भी शामिल हैं और वह बहुद्देश्यीय योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य बिजली, गुजरात तथा गुजरात के बाहर भी पानी पहुंचाना है। गुजरात में कच्छ मरुभूमि है, रणप्रदेश है। योजना का उद्देश्य कच्छ एवं राजस्थान के रण प्रदेश में नर्मदा का पानी पहुंचाना है। मगर केन्द्र सरकार की एक एक्सीलिरेटेड ईरिगेशन बैनिफिट प्रोग्राम की एक योजना है, उसके तहत सूखाग्रस्त विस्तार में केन्द्र सरकार द्वारा 90 फीसदी सहायता दी जाती है तो क्या गुजरात सरकार ने इस बारे में केन्द्र सरकार को एक विनती की है कि सूखाग्रस्त विस्तार की तरह रणप्रदेश और मरुभूमि है वहां भी जीवन कठिन होता है तो केन्द्र सरकार ने इस बात को माना है और केन्द्र सरकार ने इसके लिए आयोजन पंच के साथ इस बात को सैद्धांतिक रुप में स्वीकार किया है।

सभापति जी, सरदार सरोवर परियोजना का कुल 18.46 लाख हैक्टेयर विस्तार में सिंचाई देने का प्रावधान है। इसमें से 5.08 लाख हैक्टेयर यानी कि लगभग 27.5 प्रतिशत रण-विस्तार है। मरुभूमि में स्थिति दुष्कर होती है, खराब होती है। अतः रण-विस्तार में की गयी योजना को एआईबीपी के तहत समकक्ष गिनना भारत सरकार ने 90 फीसदी सहायता देने की सिफारिश की है। राज्य सरकार ने 27 दिसम्बर 2012 के दिन नेशनल डिवेलप कौंसिल में इसकी प्रस्तुति भी की है।

सभापति जी, मेरा आपसे निवेदन है कि भारत सरकार के एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास यह दरख्वास्त अभी विचाराधीन है, उसे शीघ्र ही मंजूर किया जाए ताकि इस योजना को आगे बढ़ाया जा सके, नहरों का निर्माण हो सके और शीघ्र ही यह योजना पूर्ण हो सके।